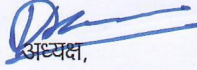


कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश , उदयपुर

क्रमांक : 02

दिनांक : 11/3/2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय परिसर में स्थित न्यायालय भवनो के नवीनीकरण/ मरम्मत के दौरान निकले हुए निर्भ्रयोज्य स्क्रेप , खिडकी, दरवाजे, रेलिंग, एंगल इत्यादि ' जहां है जैसा है ' के आधार पर न्यायालय परिसर में दिनांक -24/3/2026-को दोपहर समय ---2.30 पी.एम बजे खुली बोली द्वारा नीलाम की जाएगी, जिसकी अमानत राशि रु.1500/- रखी गई है । नीलामी शर्तें कार्यालय में अथवा विभाग की वेबसाईट <http://district.ecourt.govt.in/udaipur> पर देखी जा सकती है ।


अध्यक्ष,

अनपयोगी सामग्री निस्तारण समिति

जिला एवं सेशन न्यायालय , उदयपुर ।

क्रमांक : २०२६/२८७

दिनांक: 11/3/2026

प्रतिलिपियों निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, उदयपुर ।
2. सिस्टम ऑफिसर , जिला एवं सेशन न्यायालय को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु ।
3. सम्पादक, उदयपुर एकसप्रेस , उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा सूचना को उदयपुर संस्करण में न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कर डी. आई.पी.आर द्वारा अनुमोदित दर अनुसार बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करे ।


अध्यक्ष,

अनपयोगी सामग्री निस्तारण समिति

जिला एवं सेशन न्यायालय , उदयपुर ।

नीलामी शर्तें :-

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति / फर्म को नीलामी शुरू होने से पूर्व अमानत राशि रुपये 1500/- नकद जमा करना अनिवार्य होगा ।
2. नीलामी निर्धारित दिनांक व समय पर न्यायालय परिसर में होगी । बोलीदाताओं द्वारा लोहे की सामग्री तथा प्लास्टिक की सामग्री एवं लकड़ी की सामग्री की पृथक-पृथक दर प्रति किलोग्राम के हिसाब से देनी होगी । सामग्री अनुसार इनमें अधिक बोलीदाता को नीलामी छोड़ी जाएगी ।
3. नीलामी उच्चतम बोली दाता के पक्ष में की जाएगी । सफल बोली दाता को बोली राशि का एक चौथाई राशि तत्काल जमा करानी होगी अन्यथा उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी ।
4. समस्त राशि जमा होने के पश्चात् ही नीलाम सामग्री सुपुर्द की जाएगी ।
5. सफल बोली दाता द्वारा नीलाम सामग्री सुपुर्दगी सात दिवस में नहीं ली जाती है अथवा निविदा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी जमा राशि जब्त कर ली जावेगी ।
6. सफल बोली दाता को नीलाम सामग्री के वजन एवं परिवहन से संबंधित समस्त खर्च एवं नियमानुसार जी.एस.टी. सहित समस्त देय करों का भुगतान स्वयं को करना होगा ।
7. इच्छुक बोली दाता नीलामी योग्य सामग्री का निरीक्षण न्यायालय परिसर में कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में कर सकते हैं ।
8. नीलामी के संबंध में सम्पूर्ण अधिकार नीलामी समिति के पास रहेंगे ।


अध्यक्ष,

अनपयोगी सामग्री निस्तारण समिति